अनुबन्ध - 9

विदेशी सहायता

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है। वर्ष 2011-2012 तथा 2012-2013 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2010-2011	बजट अनुमान 2011-2012	संशोधित अनुमान 2011-2012	बजट अनुमान 2012-2013
क. ऋण	35330.17	26820.13	24176.74	26047.94
ख. नकद अनुदान	2626.42	2172.96	3394.99	2887.20
ग. वस्तु अनुदान सहायता	46.27	...	81.60	...
घ. जोड़ (क+ख+ग)	**38002.86**	**28993.09**	**27653.33**	**28935.14**
ङ ऋणों की वापसी-अदायगी	11774.23	12320.13	13865.68	15899.74
च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (घ-ङ)	**26228.63**	**16672.96**	**13787.65**	**13035.40**
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	3156.10	3572.22	3607.95	3946.56
ज. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (च-छ)	**23072.53**	**13100.74**	**10179.70**	**9088.84**

द्विपक्षीय विकास सहयोग नीति के अनुसार जी-8 के सभी देशों नामतः संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और रुसी संघ के साथ यूरोपीय संघ से द्विपक्षीय विकास सहायता प्राप्त की जा रही है।

उन द्विपक्षीय विकास साझेदारों, जिनसे सरकारी स्तर पर विकास सहायता प्राप्त न करने का निर्णय लिया गया है, को सलाह दी गई है कि वे अपनी विकास सहायता भारत में गैर-सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों आदि को प्रदान करने पर विचार करें। यह भी सुझाव दिया गया है कि वे अपनी विकास सहायता बहुपक्षीय विकास अभिकरणों के माध्यम से देने पर विचार करें।

विभिन्न देशों और संगठनों से जो सहायता मिली है उसका संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(क) द्विपक्षीय

I. फ्रांस

1. फ्रांस सरकार भारत को 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। वर्तमान फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रेंच एजेन्सी फॉर डवलपमेंट के माध्यम से प्रदान की जा रही है। आर्थिक कार्य विभाग और एएफडी के बीच समझौता ज्ञापन पर 29.9.2008 को हस्ताक्षर किए गए। भारत-फ्रेंच विकास सहयोग के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी सार्वजनिक परिवहन, जैव विविधता का परिरक्षण तथा उभरते हुए और संक्रामक रोगों के फैलने पर रोक। 2011 के दौरान एएफडी ने 260 मिलियन यूरो की वचनबद्धता की जिसमें बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन के लिए 110 मिलियन यूरो और आईडीबीआई बैंक को 150 मिलियन यूरो की ऋण श्रृंखला शामिल है।

II. जर्मनी

संघीय गणराज्य जर्मनी 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र है ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और परिरक्षणीय प्रयोग, सतत आर्थिक विकास। इसके अतिरिक्त जर्मनी पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान करता है। जर्मनी सरकार ने भारत में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता हेतु 2011 में 517.7 मिलियन यूरो की वचनबद्धता की। '125 मेगावाट सौर पीवी संयत्र, शिवाजी नगर (साकरी)' परियोजना के लिए 250 मिलियन यूरो की वचनबद्धता हेतु करारों पर 10.8.2011 को हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार ने इन परियोजनाओं हेतु केएफडब्लू के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर किए। 2011-12 (नवम्बर 2011 तक) के दौरान जर्मनी ने सरकारी परियोजनाओं के तहत ₹ 871.38 करोड़ की वित्तीय सहायता संवितरित की। इस अवधि के दौरान गैर-सरकारी परियोजनाओं सहित कुल संवितरण 171.96 मिलियन यूरो था।

III. इटली

इस समय इटली की सहायता से पश्चिम बंगाल में 16 शहरों में 'जलापूर्ति तथा ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन' परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इटली उक्त परियोजना के लिए 25.82 मिलियन यूरो का ब्याज रहित ऋण प्रदान कर रहा है जिसकी अदायगी अवधि 19 वर्ष की रियायत अवधि को छोड़कर 39 वर्ष है।

IV. जापान

जापान 1958 से भारत को द्विपक्षीय ऋण और अनुदान सहायता प्रदान करते आ रहा है। भारत को जापानी द्विपक्षीय ऋण सहायता, अनुदान सहायता और तकनीकी सहयोग जेआईसीए (जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत को सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है।

2. 2011-12 (17 जनवरी 2012 की स्थिति के अनुसार) के दौरान सरकारी क्रय का कुल संवितरण 62,735 मिलियन का रहा।

3. वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान जेआईसीए ने वित्त वर्ष 2011 के पहले बैच की निम्नलिखित दो परियोजनाओं के लिए ऋण देने हेतु मूल्यांकन किया है:

क्रम सं.	परियोजना का नाम
1.	दिल्ली जन द्रुव परिवहन प्रणाली परियोजना चरण-3
2.	पश्चिम बंगाल वन और जैव विविधता संरक्षण परियोजना

4. जापान सरकार की औपचारिक प्रतिबद्धता की प्रतीक्षा है। उपर्युक्त दो परियोजनाओं के लिए ऋण की औपचारिक वचनबद्धता की प्राप्ति के पश्चात् इस पैकेज के लिए ऋण करारों का आदान-प्रदान और पृथक-पृथक करारों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

V. रूसी परिसंघ

न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वीवीईआर-1000 टाइप प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए 2000 मेगावाट क्षमता (दो इकाइयां) की कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है। यह परियोजना भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच दिनांक 20.11.1988 को हस्ताक्षरित अंतर-सरकारी करार और दिनांक 21.6.1998 को हस्ताक्षरित उसके समर्थक दस्तावेज के तहत तकनीकी सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। अंतर-सरकारी करार/संपूरण के उपबंधों के अनुसार खर्च हो गई 85 प्रतिशत लागत को कवर करने के लिए 2600 मिलियन अमरीकी डॉलर तक का शासकीय ऋण उपलब्ध कराया गया है।

2. इस परियोजना ने सितम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार 96.8 प्रतिशत संचयी वास्तविक प्रगति दर्ज की है। 2011-12 (31 दिसम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार) के दौरान कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के लिए सरकारी ऋणों की सहायता का उपयोग 5 मिलियन अमरीकी डालर रहा।

VI. यूनाइटेड किंगडम (यूके)

यूनाइटेड किंगडम वर्ष 1958 से अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के माध्यम से भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान करता आ रहा है। वर्तमान में यू.के. की विकास सहयोग सहायता परस्पर सहमत परियोजनाओं मुख्यत सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी और ग्रामीण विकास, अभिशासन सुधार गरीबी उन्मूलन के बढ़े हुए दायरे के कार्य के भीतर किया जाता है। डीएफआईडी सहायता का लगभग 40-50% भाग केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं और शेष भाग राज्य क्षेत्र परियोजना हेतु प्रदान की जाती है। यूके सहायता के अग्रता प्राप्त राज्य हैं- बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा। इस समय, डीएफआईडी वर्तमान में चल रही 20 परियोजनाओं को वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया करा रहा है। अब तक 17 जनवरी, 2012 तक डीएफआईडी ने 181.67 मिलियन जीबीपी संवितरित किया है।

2. डीएफआईडी ने भारत हेतु अपना कन्ट्री प्लान (2008-15) जून, 2008 में शुरू किया था। अपने कन्ट्री प्लान 2008-11 के पहले चरण के दौरान डीएफआईडी ने वर्तमान चल रही परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 825 मिलियन जीबीपी संवितरित किया है, ये परियोजनाएं/कार्यक्रम अब पूरे हो चुके हैं। कन्ट्री प्लान (2011-12 से 2014-15) का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। डीएफआईडी ने चार वर्षों (2011-12 से 2014-15) के लिए 1120 मिलियन जीबीपी (प्रतिवर्ष 280 मिलियन जीबीपी) मुहैया कराने की पेशकश की है। दो देशों के बीच निर्धारित की गई भावी विकास भागीदारी में डीएफआईडी सहायता सरकारी क्षेत्र में जबकि छोटा घटक डीएफआईडी समर्थित कार्यक्रमों और निजी क्षेत्र की विकास पहलों के लिए देने की परिकल्पना की गई है। निजी क्षेत्र की विकास पहलों के तहत इस बात पर परस्पर सहमति हुई है कि भारत लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) जैसे सरकार द्वारा प्रायोजन संगठनों के जरिए प्रायोगिक आधार पर कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएं।

ख. बहुपक्षीय

I. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

1. भारत सरकार द्वारा अपनाई गई समग्र विदेशी ऋण प्रबंधन नीति जो दीर्घावधिक परिपक्वताओं के साथ किफायती आधार पर निधियां जुटाने पर केंद्रित है, के तहत एशियाई विकास बैंक से उधार लेता है।

2. 1986 से एडीबी द्वारा 150 परियोजनाओं के लिए 31 अक्तूबर, 2011 तक भारत को दी गई संचयी ऋण सहायता 24.39 बिलियन अमरीकी डालर है।

3. 31 अक्तूबर, 2011 की स्थिति के अनुसार 72 परियोजनाओं को 11.4 बिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया जा रहा है और चालू वित्त वर्ष में 9 परियोजनाएं/ट्रांश सुपुर्दगी के लिए तैयार हैं। चल रही और नई परियोजनाओं के वितरण की संभावना के आधार पर एडीबी से 1.7 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त होने का अनुमान है।

II. यूरोपीय संघ(ईयू)

यूरोपीय संघ(ईयू) 1976 से भारत को विकास सहयोग सहायता प्रदान कर रहा है। यह सहायता पूर्णतः अनुदान के रूप में है। स्वास्थ्य और शिक्षा भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय विकास सहयोग के लिए दो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।

2. ईयू देशीय कार्यनीति दस्तावेज के जरिए विकास सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। देशीय कार्यनीति दस्तावेज भागीदार देश की नीतिगत कार्यसूची पर यूरोपीय संघ के उद्देश्य और देश/क्षेत्र की स्थिति के विश्लेषण पर आधारित होता है। देशीय कार्यनीति दस्तावेज सामान्यतया निरंतर दो बहु-वार्षिक निर्देशात्मक

कार्यक्रम को कवर कर रहा है। वर्ष 2009-13 के लिए मौजूदा देशीय कार्यनीति दस्तावेज 2007-10 की अवधि के लिए बहु-वार्षिक निर्देशात्मक कार्यक्रम-1 (एमआईपी-I) और 2011-13 की अवधि के लिए बहु-वार्षिक निर्देशात्मक कार्यक्रम-II (एमआईपी-II) को कवर कर रहा है। एमआईपी-1 के अंतर्गत 2007-10 की अवधि के लिए 260 मिलियन यूरो की कुल राशि की वचनबद्धता की गई थी जिसके लिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच 30.11.2007 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। एमआईपी-1 के अंतर्गत यूरोपीय संघ ने स्वास्थ्य के लिए 110 मिलियन यूरो, शिक्षा के लिए 70 मिलियन यूरो और संयुक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु 80 मिलियन यूरो आवंटित किए हैं। एमआईजी-II हेतु कुल 210 मिलियन यूरो में से 100-130 मिलियन यूरो शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा को सहायता के लिए, 50 मिलियन यूरो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए और 30-60 मिलियन यूरो संयुक्त कार्य योजना के लिए हैं। एमआईपी के लिए यूरोपीय संघ और भारत के बीच 22 फरवरी, 2011 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

III. वैश्विक निधि संगठन

यह वैश्विक निधि वैश्विक सरकारी/निजी भागीदारी है जो एचआईवी/एड्स, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन आकर्षित करने और उनके संवितरण के लिए संमर्पित है। सरकारों, सिविल सोसाइटी, निजी क्षेत्र और प्रभावित समुदायों के बीच भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य वित्तपोषण के लिए एक नए दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। वैश्विक निधि इन तीन बीमारियों से निपटने के लिए वर्तमान प्रयासों को सहायता देने हेतु अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संगठनों के निकट सहयोग से कार्य करती है। इसके 2002 में सृजन से वैश्विक निधि एड्स, तपेदिक और मलेरिया का मुकाबला करने के कार्यक्रमों हेतु वित्तपोषण का मुख्य स्रोत बन गई है।

IV. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों, गैर-ऋण सेवाओं जिनमें विश्लेषणात्मक और परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, के माध्यम से सतत् विकास को बढ़ावा देकर मध्यम आय वाले देशों और ऋण प्राप्त करने के योग्य निर्धन देशों में गरीबी को कम करना है। बैंक की ऋणदर के विकल्प में परिवर्तनीय विस्तार के लिए परिवर्ती आधार दर (6 माह लिबोर) के साथ-साथ विस्तार शामिल है। प्रत्येक ब्याज भुगतान की तारीख को ऋण दर पुनः निर्धारित की जाती है और उन तारीखों को आरंभ ब्याज अवधियों पर लागू होती है। कोई वचनबद्धता शुल्क देना नहीं होगा और ऋण राशि का 0.25 प्रतिशत फ्रंट एंड शुल्क देना होगा।

2. आईबीआरडी का ऋणों के जरिए 30-9-2011 तक संचयी ऋण 47,840 मिलियन अमरीकी डालर है। वचनबद्धताएं विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सिंचाई, पन बिजली, ग्रामीण सहकारिताएं, सड़कें आर्थिक सुधार आदि परियोजनाओं के लिए हैं।

3. वर्ष 2010-11 (31.3.2011 तक) के दौरान 2432.81 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता राशि के साथ 10 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी थी।

V. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक का रियायती सहयोगी है और बैंक के गरीबी उन्मूलन अभियान को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईडीए सहायता विश्व के 79 निर्धनतम देशों पर केन्द्रित है जिन्हें यह ब्याज मुक्त ऋण (क्रेडिट के रूप में ज्ञात) और अन्य ऋण भिन्न सेवाएं प्रदान करता है। आईडीए अपने अधिकांश वित्तीय संसाधनों के लिए अपने 45 धनी सदस्य देशों जिसमें कुछ विकासशील देश शामिल हैं, के अंशदान पर काफी हद तक निर्भर रहता है।

2. 30.6.1987 तक अनुमोदित ऋणों की 50 वर्ष में वापसी की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट अवधि शामिल है । 1.07.1987 के बाद अनुमोदित ऋणों की वापसी 35 वर्ष में की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट की अवधि शामिल है। आईडीए ऋणों पर कोई ब्याज प्रभार नहीं लगता है परन्तु ऋण की संवितरित राशि पर वार्षिक 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगता है। दिनांक 1 जुलाई, 2011 से आईडीए सहायता की वापसी अदायगी की अवधि 5 वर्ष की छूट अवधि सहित 25 वर्ष है व इस पर 1.25% प्रतिवर्ष की ब्याज दर और 0.75% प्रति वर्ष का सेवा प्रभार है। बैंक के वित्त वर्ष 2012 (11 जुलाई-12 जून) के दौरान कोई वचनबद्ध प्रभार नहीं है।

3. भारत को आईडीए सहायता 1961 में शुरू हुई और यह वैदेशिक सहायता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। दिनांक 30.9.2011 की स्थिति के अनुसार आईडीए द्वारा भारत को दिया गया संचयी ऋण 41,956 मिलियन अमरीकी डालर है। यह स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, कृषि, गरीबी उन्मूलन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोजनाओं के लिए है।

4. वर्ष 2010-11 के दौरान (31.3.2011 तक) 3,116.28 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता सहित 16 परियोजनाएं अनुमोदित की थी।

VI. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी। 167 देश आईएफएडी के सदस्य है और इन्हे तीन समूहों में सूचीबद्ध किया गया हैः सूची कः विकसित देश; सूची खः तेल उत्पादक देश और सूची गः विकासशील देश। भारत सूची-ग में है। आईएफएडी का एक चुना हुआ अध्यक्ष होता है और संचालन मंडल और कार्यकारी बोर्ड होता है।

2. भारत आईएफएडी के मूल सदस्य देशों में एक है। भारत ने अब तक आईएफएडी के संसाधनों में 104 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है। 8वें पुनर्भरण के लिए, भारत ने आईएफएडी के संसाधनों में 25 मिलियन अमरीकी डालर राशि की वचनबद्धता की है और दिसम्बर 2009 में 8वें पुनर्भरण की पहली किस्त के रूप में 9 मिलियन अमरीकी डालर, अक्तूबर 2010 में दूसरी किस्त के रूप में 8 मिलियन अमरीकी डालर और अक्तूबर 2011 में अंतिम किस्त के रूप में 8 मिलियन अमरीकी डालर की अदायगी की है।

3. 1979 से आईएफएडी में कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के क्षेत्रों में 656.4 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग) की प्रतिबद्धता सहित 24 परियोजनाओं को सहायता दी है। इनमें से 14 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इस समय 274.35 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता से 9 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।

4. आईएफएडी ऋणों की अदायगी 40 वर्ष की अवधि में की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट की अवधि शामिल है और इन पर कोई ब्याज प्रभार नहीं लगता। तथापि, बकाया ऋण राशियों पर एक प्रतिशत के तीन-चौथाई (0.75%) की दर से वार्षिक सेवा प्रभार लगाया जाता है।

VII. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में विकास सहयोग का सबसे बड़ा माध्यम है। यूएनडीपी का समग्र मिशन गरीबी उन्मूलन, लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरणीय रक्षा को प्राथमिकता देकर स्थायी मानव विकास में क्षमता विकास के जरिए कार्यक्रम वाले देशों की सहायता करना है। यूएनडीपी द्वारा प्रदान की जाने वाली समूची सहायता अनुदान सहायता के रूप में होती है।

2. यूएनडीपी अपनी निधियां विभिन्न दाता देशों से स्वैच्छिक अंशदान से जुटाता है। भारत यूएनडीपी को 4.5 मिलियन अमरीकी डालर का वार्षिक अंशदान देता है, यह विकासशील देशों में से सबसे अधिक है। अपने वार्षिक अंशदान के अतिरिक्त भारत सरकार स्थानीय कार्यालय के लिए भी भुगतान करती है।

3. यूएनडीपी संसाधनों का देश-विशिष्ट आवंटन देश सहयोग ढ़ांचे (सीसीएफ) के अन्तर्गत प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाता है। जो सामान्यतः भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का समकालिक होता है। मौजूदा देश कार्यक्रम (सीपी): 2008-12 ग्यारहवीं योजना के सुमेल में है और इसका बल समावेशी विकास पर है। यह 1 जनवरी 2008 से प्रभावी है और 31 दिसम्बर 2012 तक प्रवृत्त रहेगा। यह मुख्यतया लोकतांत्रिक अभिशासन, गरीबी न्यूनीकरण, एचआईवी और विकास, आपदा जोखिम प्रबंधन और ऊर्जा व पर्यावरण नामक लक्ष्यों पर केंद्रित होगा। इसके अतिरिक्त यह आर्थिक रूप से पिछड़े सात राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओड़ीशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर केंद्रित होगा।

4. वर्ष 2013-17 के लिए अगले देश कार्यक्रम दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूएनडीपी मुख्य निधियों का प्रस्तावित आवंटन मौजूदा देश कार्यक्रम (2008-12) के लिए 70 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में देश कार्यक्रम 2013-17 के लिए 65.59 मिलियन अमरीकी डालर है।